

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / म.स्वा.का. / भरतपुर / 2024 /

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 92 दिनांक 11.11.2022 के क्रम संख्या 07 पर अंकित कार्मिका श्रीमति रेशमा खान, नर्सिंग ऑफीसर जिला सवाईमाधोपुर के स्थाईकरण आदेश को प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / म.स्वा.का. / भरतपुर / 2024 / 39

दिनांक:- 20-02-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिका से बकाया राशि वसूल कर निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावें।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5688673

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval

Designation : Director

Date :20-02-2024 09:32:30